बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-6/अ0प्र0-05-04/2017 7854 /पटना, दिनांक- 27/12/21

गृह (विशेष) विभाग के पत्र संख्या-277 दिनांक 03.02.2009 के द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया था कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 के अन्तर्गत अंतिम रूप से बिहार एवं झारखंड राज्य में आवंटित कर्मियों का पारस्परिक सहमति के आधार पर किये गये राज्य स्थानांतरण में वरीयता का दावा मान्य नहीं होगा अर्थात उक्त आधार पर स्थानांरित कर्मी उस राज्य में अपने कोटि संवर्ग में नियुक्ति/ पदोन्नति के वर्ष में कनीयतम हो जायेंगे।

विभागीय अधिसूचना संख्या-6716 सह पठित ज्ञापांक-6717 दिनांक-01.01.2016 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के बिहार अभियंत्रण (असैनिक) सेवा वर्ग के अभियंताओं का संयुक्त वरीयता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित की गयी थी। जिसमें गृह (विशेष) विभाग के पत्र संख्या-277 दिनांक-03.02.2009 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का पालन किया गया था।

मूल वरीयता पुर्नस्थापित करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद संख्या-6446/2017 पुरेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक-18.09.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा मूल वरीयता बरकरार रखने का आदेश पारित किया गया। एक अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-4756/2009 आदित्य नारायण बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-29.07.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध गृह (विशेष शाखा) द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 दायर किया गया है। जिसमें न्याय निर्णय अभी होना बाकी है।

वाद संख्या-6446/2017 पुरेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग एवं विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग के द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की मूल वरीयता Restore करने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है तथा इन याचिकाओं में किसी वरीय न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन या अन्य आदेश पारित नहीं किया गया है। विधि विभाग का यह भी परामर्श है कि मूल वरीयता का Restoration माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 संख्या-3216/2017 में पारित न्याय निर्णय के फलाफल से अच्छादित होगा।

तदनुसार विधि विभाग के उपरोक्त परामर्श में अंकित शर्त के साथ एवं विभागीय कमिटी की दिनांक-29.05.2018 के अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग संवर्ग के वादी अभियंता एवं कतिपय आवेदकों का वरीयता क्रमांक पुनर्स्थापित किया गया है।

Chandan

21/12/2021

ग्रामीण कार्य विभाग संवर्ग के अभियंता श्री शशि शंकर प्रसाद, कार्यपालक अभियंता द्वारा विषयगत पारस्परिक राज्य स्थानान्तरण से अच्छादित होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-6716 सह पठित ज्ञापांक-6717 दिनांक-01.01.2016 द्वारा निर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के बिहार अभियंत्रण (असैनिक) सेवा वर्ग के अभियंताओं का अंतिम रूप से प्रकाशित संयुक्त वरीयता सूची में उनके मूल वरीयता को पुनर्स्थापित करने का अनुरोध किया गया। तदालोक में उपरोक्त वर्णित परिदृश्य में पारस्परिक राज्य स्थानान्तरण से अच्छादित होने के सदृश्य मामले पर सम्यक विचारोपरान्त श्री शशिशंकर प्रसाद, कार्यपालक अभियंता के मूल वरीयता को निम्नरूपेण पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम	गृह जिला	विभागीय अधिसूचना संख्या-6716 सह पठित ज्ञापांक-6717 दिनांक-01.01.2016 द्वारा प्रकाशित संयुक्त वरीयता सूची का क्रमांक	निर्णय के आलोक में आवेदक द्वारा दावा के अनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या-6716 सह पठित ज्ञापांक-6717 दिनांक-01.01.2016 द्वारा प्रकाशित संयुक्त वरीयता में संशोधित वरीयता क्रमांक
1	2	3	4	5
1	श्री शशि शंकर प्रसाद	अरवल	162	141 'A'

तद्नुसार पूर्व में विभागीय अधिसूचना संख्या-6716 सह पठित ज्ञापांक-6717 दिनांक-01.01.2016 द्वारा प्रकाशित संयुक्त वरीयता सूची में श्री शशि शंकर प्रसाद के वरीयता क्रमांक-162 को विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/12/2021

(संजय दूबे)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-06/अ0प्र0-05-04/2017 7855 पटना, दिनांक- 23/12/21

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी (ई0), गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना-7 को दो हार्ड कॉपी सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-06/अ0प्र0-05-04/2017 7855 पटना, दिनांक- 23/12/21

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ गृह (विशेष) विभाग/ विधि विभाग/ पथ निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग/ भवन निर्माण विभाग/ ग्रामीण

Chandan

कार्य विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/2024

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-06/अ0प्र0-05-04/2017 7855 पटना, दिनांक- 23/12/24

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/ श्री शशि शंकर प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-02, बनमखी, पूर्णियाँ/ बिहार अभियंत्रण सेवा संघ/ अवर अभियंत्रण सेवा संघ, बिहार, पटना को सूचनार्थ तथा आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/12/2024

सरकार के विशेष सचिव

Chandan